



2026:AHC:167117-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट टैक्स संख्या - 3397/2026

गजलक्ष्मी अर्बन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अंकुर अग्रवाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 39

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकुर अग्रवाल और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार मिश्रा को सुना गया।
2. हम वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यूपीजीएसटी एक्ट की धारा 74 के अंतर्गत पारित गुण-दोष आदेश दिनांक 08.05.2026 के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हमारी असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।
3. दो आधारों पर जोर दिया गया है। प्रथम, यह प्रस्तुत किया गया है कि उसी विवाद के लिए, अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत अन्य कार्यवाही शुरू की गई थी और 05.05.2026 को आदेश पारित किया गया है। साथ ही, अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत समानांतर कार्यवाहियां शुरू की गई हैं और 08.05.2026 को एक अन्य आदेश पारित किया गया है। द्वितीय, गजलक्ष्मी अर्बन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य, 2025:AHC:181284-DB में मुकदमेबाजी के पहले दौर में पारित आदेश के आधार पर परिसीमा के आधार पर जोर दिया गया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है। त्वरित संदर्भ के लिए, गजलक्ष्मी अर्बन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में जारी निर्देश को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:

"9. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेश दिनांक 26.04.2024 और 29.11.2023 को इस शर्त के अधीन अपास्त किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से एक महीने की अवधि के भीतर 75,000/- रुपये जमा करे। वर्तमान रिट याचिका को निम्नलिखित निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है:

(i) याचिकाकर्ता द्वारा उपर्युक्त जमा किए जाने के अधीन, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस की एक प्रति के साथ-साथ इन कार्यवाहियों में जारी किसी भी अतिरिक्त/पूरक नोटिस आदि तथा रिलाइड अपॉन डॉक्युमेंट्स (संक्षेप में 'आरयूडी') की प्रतियां, याचिकाकर्ता द्वारा दिखाए गए अनुपालन की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगा।

(ii) याचिकाकर्ता, यदि कोई हो, वहां से चार सप्ताह की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपना उत्तर दाखिल करेगा।

(iii) इसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 4 सुनवाई के लिए उचित तिथि नियत करेगा और विधि द्वारा विहित तरीके से कम से कम दो सप्ताह के अग्रिम नोटिस के साथ याचिकाकर्ता को संसूचित करेगा।

(iv) याचिकाकर्ता कार्यवाहियों में सहयोग करने और भाग लेने का वचन देता है और कोई अनुचित या लंबा स्थगन नहीं मांगेगा।

10. यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार प्रतिप्रेषित की गई कार्यवाहियां उस तिथि से छह महीने के भीतर संपन्न हो जाएंगी जिस दिन याचिकाकर्ता इस आदेश के तहत पहला अनुपालन करता है और ऊपर निर्दिष्ट राशि जमा करता है।"

4. इस प्रकार, समन्यवय पीठ ने 26.04.2024 के पूर्व न्यायनिर्णयन आदेश को अपास्त कर दिया था। साथ ही, इसने राजस्व को अतिरिक्त/पूरक नोटिस के साथ कारण बताओ नोटिस की प्रति तामील करने का अवसर दिया था। वह तामीली की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया था और उसके पश्चात 10.11.2025 से छह महीने के भीतर, अर्थात् 08.05.2026 को

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कार्यवाहियां संपन्न कर ली गई हैं। इसलिए, परिसीमा का आधार मौजूद नहीं है क्योंकि आदेश इस न्यायालय द्वारा दिए गए छह महीने के भीतर पारित किया गया है।

5. आगे, यह अभिवेदन कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 4.12.2025 प्रारंभ से ही शून्य है क्योंकि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने नोटिस दिनांक 03.12.2025 के माध्यम से शुरू की गई कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया था, भ्रामक है। यहां, ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने दो नोटिस जारी किए। पहला 03.12.2025 को और दूसरा 04.12.2025 को। दूसरा नोटिस जारी करने के पश्चात, उसने पहले नोटिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया। वह स्पष्ट उल्लेख न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पहले नोटिस को वापस लेने के लिए पारित आदेश दिनांक 04.12.2025 में अंतर्विष्ट है। घटनाओं के उस क्रम में, दूसरा कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.12.2025, अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत कार्यवाहियों को आदेश दिनांक 04.12.2025 द्वारा संपन्न किए जाने के रूप में वर्णित किए जाने से पहले जारी किया गया था।

6. अधिनियम की धारा 6(2)(बी) के अंतर्गत रोक के मुद्दे पर, वर्तमान में, यह भी प्रतीत होता है कि आक्षेपित कार्यवाहियों में अन्य आधार भी शामिल हैं। जहां एक आदेश में किया गया न्यायनिर्णयन किसी पूर्व आदेश या कार्यवाही में किए गए न्यायनिर्णयन द्वारा पूरी तरह से आच्छादित हो सकता है, रिट न्यायालय उपलब्ध अपील के वैधानिक उपचारों के सामने हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि, अन्य विवादास्पद मुद्दे भी शामिल हैं। इसलिए, इन तथ्यों में, अपील के उपचार को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश का कुछ भाग अंततः अधिनियम की धारा 6(2)(बी) के सिद्धांत से बाधित पाया जा सकता है। इसलिए, वर्तमान वाद में, मांगी गई विवेकाधीन राहत से इनकार किया जा रहा है।

7. इस बारे में कि क्या समन्वय पीठ ने राजस्व को अतिरिक्त/पूरक नोटिस जारी करने का अवसर दिया था, हमें उठाई जा रही आपत्ति में कोई गुण-दोष नहीं मिलता है क्योंकि गजलक्ष्मी अर्बन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में आदेश के प्रस्तर-9(i) में किया गया उल्लेख विशिष्ट है।

8. तदनुसार, दावा किए गए हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है। रिट याचिका इस टिप्पणी के साथ **निस्तारित** की जाती है कि, याचिकाकर्ता द्वारा आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपील के वैधानिक उपचार का लाभ उठाने के अधीन, परिसीमा के संबंध में कोई आपत्ति उठाए बिना गुण-दोष के आधार पर इस पर विचार किया जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

10 अगस्त, 2026

शिव

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”